



न्यायालय अपर सिविल जज (क०प्र०), कोर्ट नं०-7,
लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी: - श्री सुर्या चौहान
JO CODE-UP3420
मूलवाद संख्या प्रा०दी०- 18/2008
वाद संस्थित दिनांक-17.01.2008
निर्णय दिनांक-20.12.2023
सी०एन०आर०सं०-UPLP060017402020

मोहम्मद तौसीफ आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री मोहम्मद तौकीर निवासी व फारना
कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी।

...वादी

बनाम

श्री सलीम खुसरो अली खां आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र श्री नसीमुल गनी खां निवासी
कुकरा, परगना कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी।।

...प्रतिवादी

- निर्णय :-

- 1) संदर्भित दीवानी वाद वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थायी निरोधादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है।
- 2) संक्षेप में वादीपक्ष द्वारा वादपत्र में यह अभिकथित किया गया है वादी की दुकान स्थित कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी में है। जिसकी चौहद्दी उत्तर-दुकान नूर मोहम्मद, दक्षिण दुकान वादी रस्सी, बान, लोहा, पूरब खाली जगह बाजार, पश्चिम रास्ता खडन्जा तथा पैमाइश उत्तर-दक्षिण लम्बाई 12 फिट व पूरब पश्चिम चौड़ाई-13 फिट है। उक्त दुकान में वादी खाद्य पदार्थ तथा अन्य किराने का सामान विक्रय करने का कारोबार 25 वर्षों से करता है। वादी के पास उक्त दुकान में खाद्य पदार्थ विक्रय करने का विधिक लाईसेन्स है जिसकी नोटरी प्रमाणित छाया प्रति वादी वादपत्र के साथ संलग्न कर रहा है। उक्त दुकान वादी की पुश्तैनी जगह में है जिस पर वादी के पिता दुकान करते थे। वादी के पिता द्वारा व्यापार छोड़ने पर वादी ने पक्की दीवारों तथा सीमेन्ट की टीन डालकर दुकान बनवाया था तथा उसमें पिछले 25 वर्षों से लगातार दुकान करता चला आ रहा है। प्रतिवादी अत्यन्त प्रभावशाली तथा धनी व्यक्ति हैं वह अपने सहायकों के माध्यम से क्षेत्र के दुकानदारों से जबरन तथा विधि विरुद्ध रूपया वसूल करता है। दुकानदारों द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादी के सहायक व्यक्ति आमादा फौजदारी दुकान

②

उजाड़ डालने की धमकी देते हैं। पुलिस भी परोक्ष रूप से प्रतिवादी को सहयोग देती है तथा गैर कानूनी जबरन वसूली की शिकायत करने पर कोई कार्यवाही प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं करती है। दिनांक 10-01-2008 को प्रतिवादी ने अपने आदमियों को वादी की दुकान पर अवैध वसूली करने हेतु भेजा तब वादी ने विरोध किया तथा रुपया देने से इन्कार किया। इस पर प्रतिवादी के आदमी आमामादा फसाद होकर वादी की दुकान का सामान इधर उधर फेंकने लगे व दुकान तोड़ देने पर आमामादा हो गये। इस पर वादी की दुकान पर भीड़ लग गयी वादी तथा जनता के विरोध के कारण वादी की दुकान बच गयी। प्रतिवादी के आदमी धमकी देकर चले गये। प्रतिवादी को कोई अधिकार वादी के स्वामित्व की दुकान में हासिल नहीं है। प्रतिवादी को वादी से जबरन पैसा वसूलने तथा दुकान को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाकर वादी के व्यापार में व्यवधान डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी स्वयं अपने सहायक आदमियों से व पुलिस का सहयोग लेकर वादी की दुकान को जबरन तोड़ कर वादी को अपरिमार्जनीय नुकसान पहुंचाना चाहता है। यदि प्रतिवादी अपने गैर-कानूनी नाजायज मकसद में सफल हो गया तो वादी का जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हो जाएगा। अंततः वादी द्वारा याचना की गयी कि अज्ञप्ति स्थाई निरोधादेश बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादी विवादित दुकान को स्वयं अथवा अपने सहयोगियों से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने तथा वादी के शान्तिपूर्वक व्यापार करने में व्यवधान डालने से निषेधित किया जावे।

- 3) प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा 14 क 1 प्रस्तुत कर वादी के कथनों को अंशतः स्वीकार व अंशतः अस्वीकार करते हुये कथन किया गया है कि विवादित दुकान वक्फ की सम्पत्ति है व विवादित दुकान का स्वामी एकमात्र वक्फ बोर्ड है तथा उत्तरदाता/प्रतिवादी दुकान से सम्बन्धित वक्फ का मुखिया है तथा विवादित दुकान के सहित वक्फ की अन्य सम्पत्तियों की देखभाल तथा सुरक्षा का दायित्व उत्तरदाता/प्रतिवादी पर है तथा वादी विवादित दुकान का किरायेदार है व विवादित दुकान का किराया प्रतिमाह 300 रु० है। विवादित दुकान गाटा सं०-1184 के जुज भाग पर स्थित है तथा उक्त भूमि के पूर्व स्वामी उत्तरदाता/प्रतिवादी के पिता श्री नसीमुल गनी थे जिनके नाम उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित चली आ रही है। इसके अतिरिक्त वक्फ की दूसरी दुकान जो विवादित दुकान के दक्षिण तरफ स्थित है जिसे वादपत्र की धारा 1 की चौहद्दी दुकान में दक्षिण दुकान वादी रस्सी, बान, लोहा से प्रदर्शित किया गया है। इस दुकान का किरायेदार वादी ही है व उक्त दुकान 2001 ई० से वादी के पास किराये पर है। चूंकि विवादित दुकान वक्फ एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वक्फ की सम्पत्ति है इसलिये वक्फ एक्ट की धारा-85 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष उक्त वाद धारणीय नहीं है तथा माननीय न्यायालय को वाद के श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं है व उक्त उपबन्ध से वादी का वाद बाधित है इसलिये वाद सव्यय अपास्तेय है। वादी लगभग 6 माह से विवादित दुकान का किराये का भुगतान नहीं कर रहा है इसलिये प्रतिवादी/उत्तरदाता ने किराया बावजूद तलब व तकाजा के ना भुगतान किये जाने पर वादी से विवादित दुकान रिक्त करने का निवेदन किया इसलिये वादी किराया धनराशि हड़प करने के उद्देश्य से उक्त असत्य एवं मिथ्या, कपोल कल्पित, 9

भ्रामक तथ्यों तथा सारहीन तथ्यों पर आधारित वाद अपने दूषित मनतव्य की पूर्ति के निमित्त प्रस्तुत किया है अतएव वादी का वाद विरुद्ध उत्तरदाता/ प्रतिवादी सव्यय अपास्तेय है। वादी का वाद विधि एवं तथ्यों के विपरीत है अतएव विरुद्ध उत्तरदाता/ प्रतिवादी सव्यय अपास्तेय है। चूंकि वादी के विवादित दुकान में स्वत्व व स्वामित्व निहित नहीं है इसलिए वादी का उक्त विषयक वाद धारणीय नहीं है अतएव विरुद्ध उत्तरदाता/ प्रतिवादी सव्यय अपास्तेय है। विवादित दुकान के उत्तर तरफ दुकान नूर मोहम्मद, दक्षिण दुकान वादी रस्सी बान लोहा, पूरब खाली जगह बाजार, पश्चिम रास्ता खडन्जा भी वक्फ बोर्ड की भूमि पर स्थित है जिनके किरायेदार नूर मोहम्मद तथा वादी है। उक्त परिस्थितियों के कारण प्रतिवादी विवादित दुकान का किराया प्राप्त करने का अथवा दुकान को रिक्त कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी की विवादित दुकान को तोड़ने का कोई भी भविष्य में इरादा नहीं है परन्तु वादी को बिना किराये का भुगतान किये व्यवसाय करने का कोई भी हक व अधिकार नहीं है। विवादित दुकान वादी की पुश्तैनी जगह पर स्थित नहीं है अपितु वक्फ बोर्ड की भूमि पर स्थित है। वादी के पिता ने लगभग 10 वर्ष पूर्व दुकान किराये पर ली थी और कुछ साल वादी को अपना व्यवसाय दे दिया था तब से वादी निरन्तर किरायेदार की हैसियत से विवादित दुकान में अपना कारोबार चला रहा है अतएव वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है तथा वादी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है। वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंततः प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा वादी का वाद निरस्त करते हुये उत्तरदाता/प्रतिवादी को हर्जा खास अंकन रूपया 5,000/- की धनराशि वादी से दिलाने की याचना की गयी है।

4) उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08-07-2009 को निम्नलिखित विवादक वाद बिन्दु विरचित किये गये:-

1. क्या वादी विवादित दुकान का मालिक व काबिज है?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है और अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या वाद धारा-85 वक्फ एक्ट से बाधित है?
4. क्या वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी है?

5) वादी द्वारा वादपत्र में किए गए अभिकथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0-25 क 2 पी0 डब्ल्यू0-1 तौसीफ पुत्र तौकीर, साक्ष्य शपथपत्र कागज सं0-26 क 2 पी0 डब्ल्यू0-2 इमामुद्दीन पुत्र जलील अहमद प्रस्तुत कर उन्हें परीक्षित कराया गया है।

6) वादी द्वारा दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं:-

क्रम सं०	दस्तावेजों का विवरण	कागज संख्या	फेहरिस्त संख्या	सूची संख्या
1.	Licence No. - BKG	10 Gal	9Gal	

	/ 2006 -07/84 issued by CMO, Kheri under P.F.A rules to Mo. Tausif.		
2.	खसरा (Extract) गाटा सं०-1183 तथा 1184/1 व 1184/2 स्थित ग्राम कुकरा परगना कुकरा तहसील गोला, जिला खीरी।	32Ga1	31Ga1
3.	मूल रसीद नगर व्यापार मण्डल	51Ga1	50Ga1
(i)	मूल फोटो	52Ga1	50Ga1
(ii)	हिसाब नियामी दुकान	53Ga1	50Ga1
(iii)	बीमा(न्यू इंडिया इन्श्योरेंस)	54Ga1	50Ga1
(iv)	इन्श्योरेंस कवर नोट	55Ga1	50Ga1

7) प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं:-

क्रम सं०	दस्तावेजों का विवरण	कागज संख्या	फेह्रिस्त सूची संख्या
1.	एक किता छायाप्रति यू०पी० सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड	18Ga1	17Ga1
(i)	एक प्रमाणित प्रतिलिपि नकल सी.एच.-45 खाता सं०-161, 171	19 Ga 1 / 1 & 20 Ga 1 / 1	17Ga1
(ii)	एक प्रमाणित प्रतिलिपि नकल सी.एच.-41 गाटा सं०-1184 क, 1184 ख	20Ga1	17Ga1
(iii)	एक नोटिस छाया प्रति अन्तर्गतधारा- 106 टी० पी० एक्ट मिनजानिब	21Ga1	17Ga1

	सलीम खुसरो		
(iv)	एक छायाप्रति रजि० रसीद संख्या 3395	22Ga1	17Ga1
2.	एक किता मूल किरायानामा दिनांक 02.05.2003 (शीर्ष), प्लाट नं०-1184 रजि० नं०-2834/1	29Ga1	28Ga1
3.	एक किता छाया प्रति मुख्तारनामा	59Ga2/1 & 59 Ga 2/2	58Ga2
4.	एक किता छायाप्रति दुकान किरायेदारी	75Ga1/2	75Ga1

- 8) पक्षकारों द्वारा अपने-अपने अभिवचनों के समर्थन में अपने वाद को साबित करने के लिए लिखित बहस दाखिल की गई है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में 2009 निर्णयसार P-91, 2010 निर्णयसार P-56, 2011(2) ARC P-478 S.C. Jurisdiction AIR 2011 RAJ P-99, 2011 निर्णयसार P-376, 2013 निर्णयसार P-246 O-3R-1 व 2, 2017 निर्णयसार (3) ARC P-785 S.C विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गयी हैं। प्रतिवादी द्वारा अपने वाद के समर्थन Rashid Wali Beg Vs. Farid Pindari and Other, Civil appeal NO-6336 Of 2021 Arising out of SLP (C) NO-9733 of 2015 decided on 28.10.2021 की विधि व्यवस्था दाखिल की गयी हैं। मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को भी सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया है।

निष्कर्ष

- 9) निस्तारण वाद बिन्दु संख्या:-01-वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित दुकान का मालिक व काबिज है? इस वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है।
- a) वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि वादी की दुकान स्थित कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी है। जिसकी चौहद्दी उत्तर-दुकान नूर मोहम्मद दक्षिण- दुकान वादी रस्सी, बान, लोहा पूरब-खारी जगह बाजार, पश्चिम- रास्ता खडन्जा तथा पैमाइश उत्तर दक्षिण लम्बाई 12 फिट व पूरब पश्चिम चौड़ाई- 13 फिट है। उक्त दुकान में वादी खाद्य पदार्थ तथा अन्य किराने का सामान विक्रय करने का कारोबार 25 वर्ष से कर रहा है। वादी के पास उक्त दुकान

में खाद्य पदार्थ विक्रय करने का विधिक लाइसेन्स है। उक्त दुकान वादी की पुश्तैनी जगह पर है जिस पर वादी के पिता दुकान करे थे। वादी के पिता द्वारा व्यापार छोड़ने पर वादी की पत्नी दीवारों तथा सीमेण्ट की टीन डालकर दुकान बनवाया था तथा उसमें पिछले 25 वर्षों से लगातार दुकान करता चला आ रहा है।

- b) प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र में कथन किया गया कि विवादित दुकान वक्फ की सम्पत्ति है व विवादित दुकान का स्वामी एकमात्र वक्फ बोर्ड है तथा उत्तरदाता / प्रतिवादी दुकान से सम्बन्धित वक्फ का मुतवल्ली है तथा विवादित दुकान के सहित वक्फ की अन्य सम्पत्तियों की देखभाल तथा सुरक्षा का दायित्व उत्तरदाता / प्रतिवादी पर है तथा वादी विवादित दुकान का एकमात्र किराएदार है व विवादित दुकान का किराया प्रतिमाह 300 रु० है। विवादित दुकान गाटा संख्या 1184 के जुज भाग पर स्थित है तथा उक्त भूमि के पूर्व स्वामी उत्तरदाता/प्रतिवादी के पिता श्री नसीमुल गनी थे। जिनके नाम उक्त भूमि राजस्व अभिलेखा में अंकित चली आ रही है।
- c) इसके अतिरिक्त वक्फ की दूसरी दुकान जो विवादित दुकान के दक्षिण तरफ स्थित है जिसे वादपत्र की धारा 1 की चौहद्दी दुकान के दक्षिण दुकान वादी रस्सी, बान लोहा से प्रदर्शित किया गया है। इस दुकान का किराएदार वादी ही है व उक्त दुकान 2001 ई० से वादी के पास किराए पर है। विवादित दुकान के उत्तर तरफ दुकान नूर मोहम्मद, दक्षिण दुकान वादी रस्सी, बान, लोहा, पूरब खाली जगह बाजार, पश्चिम रास्ता खडन्जा भी वक्फ बोर्ड की भूमि पर स्थित है जिनके किराएदार नूर मोहम्मद तथा वादी है। उक्त परिस्थितियों के कारण प्रतिवादी विवादित दुकान का किराया प्राप्त करने का अथवा दुकान को रिक्त करवाने का अधिकारी है। विवादित दुकान वादी की पुश्तैनी जगह पर स्थित नहीं है अपितु वक्फ बोर्ड की भूमि पर स्थित है। वादी के पिता ने लगभग 10 वर्ष पूर्व दुकान किराए पर ली थी और कुछ साल बाद किराएदार की हैसियत से विवादित दुकान में अपना कारोबार चला रहा है।
- d) वादी द्वारा अपने उक्त कथन के अनुसार उक्त दुकान वादी की पुश्तैनी जगह पर दुकान होना बताया है, परन्तु वादी ने इसके सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा उक्त दुकान पर वादी के स्वामित्व हेतु कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। वादी द्वारा जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गये हैं उनमें कहीं भी विवादित दुकान का कोई नम्बर अथवा चिन्हीकरण नहीं है। जहां तक बीमा प्रपत्र का सम्बन्ध है वह दुकान के सामान से सम्बन्धित है। उक्त प्रपत्रों में कोई भी प्रपत्र वादी का मालिकाना हक साबित नहीं करता जबकि वादी द्वारा उक्त दुकान को वाद पत्र में पुश्तैनी जगह पर होना बताया है। वादी साक्षी पी०डब्ल्यू-01 द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि विवादित दुकान से सम्बन्धित भूमि का बयाना मेरे वालिद अथवा मेरे नाम नहीं है। विवादित दुकान अलावा मेरी एक और दुकान है दूसरी दुकान के पूरब तरफ रास्ता, पश्चिम रास्ता

खडन्जा, उत्तर तरफ मेरी स्वयं की दुकान है, दक्षिण तरफ नूर अहमद की दुकान है। इस दुकान की पैमाइश पूरब-पश्चिम 13 व उत्तर-दक्षिण 12 फीट है। यह दुकान भी 1183 में है। यह दुकान खाली आबादी में पड़ी थी जिसपर मैंने दुकान बना ली। आबादी वाली जमीन पंचायत की थी। पंचायत से मैंने कोई पट्टा प्राप्त नहीं किया ऐसे ही बना ली। यादी द्वारा लिखित बहस जो प्रस्तुत की है उसमें कहीं भी उक्त विवादित दुकान का मालिक होना नहीं बताया गया है।

- e) प्रतिवादी द्वारा एक किरायानामा 29 ग 1 मूल(शीर्ष) व 75 ग 1/2 उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विवादित दुकान वादी को किराए पर दी गई थी। प्रतिवादी न इस तथ्य को प्रतिवाद पत्र में भी अंकित किया है। जिसका कोई प्रतिउत्तर वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु अपने साक्ष्य व मौखिक बहस में वादी ने किराएदारी स्वीकार नहीं की है। वादी द्वारा अपने पुश्तैनी स्वामित्व हेतु केवल वादपत्र में कथन किया गया है, परन्तु केवल वादपत्र में कथन किये जाने से उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है। चूंकि इस वाद में प्रतिवादी द्वारा एक किरायानामा प्रस्तुत किया गया है एवं वादी विवादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी होने हेतु कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका है, इस स्थिति में Preponderance of Probabilities के सिद्धांत के अनुसार वादी विवादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर वाद योजित किया गया है। स्थायी निषेधाज्ञा के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुतोष न्यायालय के विवेकाधीन प्रदान किये जाने वाले अनुतोष हैं। जिसमें वादी को स्वच्छ हाथों के साथ अपने वाद में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि *The plaintiff can not claim the relief as matter of right. It has to be granted according to sound principles of law and ex debito justitiae. The Court can not convert itself into an instrument of injustice or vehicle of oppression. While exercising its discretionary power, the Court must keep in its mind the well settled principles of justice and fair play and the discretion would be exercised keeping in view the ends of justice since justice is the hallmark and can not be administered in vacuum.*)
- f) वादी द्वारा उक्त वाद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त दुकान किस गाटा नम्बर में स्थित है। न ही उसके द्वारा किसी भी कमीशन की कार्यवाही हेतु बल दिया गया है जिससे विवादित सम्पत्ति का स्पष्ट चिन्हीकरण हो सके। आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार ***Where the subject matter of the suit is immovable property-Where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identity it, and, in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement or survey, the plaint***

shall specify such boundaries or numbers." इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Pratibha Singh And Anr vs Shanti Devi Prasad And Anr** के वाद में यह निर्धारित किया गया है कि "Order 7 Rule 3 of the CPC requires where the subject-matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it. Such description enables the Court to draw a proper decree as required by Order 20 Rule 3 of the CPC. In case such property can be identified by boundaries or numbers in a record for settlement of survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers." यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी जिस विवादित सम्पत्ति हेतु अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है उसे उस सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण अपने वाद पत्र में व अपने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना उसका विधिक दायित्व है।

- g) यदि वादी का यह कथन मान भी लिया जाए कि वह उक्त विवादित सम्पत्ति में किराएदार नहीं है, इस स्थिति में वाद पत्र में मालिकाना हक से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत न होने व लिखित बहस में मालिकाना हक पर वादी के मौन होने की स्थिति में यह साबित नहीं होता कि वादी जिस विवादित सम्पत्ति हेतु अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करना चाहता है उस विवादित सम्पत्ति पर उसे कोई विधिक प्राप्त हो। यदि प्रतिवादी के अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य कागज सं०-29 ग 1 व 75 ग 1/2 से यह माना जाए कि वादी बतौर किराएदार की हैसियत से विवादित दुकान में काबिज है, परन्तु ऐसा कोई कथन वाद पत्र में अंकित न होने के कारण यह स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है व उसके द्वारा तथ्यों को छिपाकर वाद योजित किया गया है। इस कारण भी वादी न्यायालय के कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।
- h) वादी द्वारा लिखित बहस में प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बन्धित वक्फ रजिस्टर दाखिल न करने, प्रतिवादी द्वारा सर्वे कमीशन पर बल न देने, प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख दाखिल न करने इत्यादि जैसे कथन किये हैं, परन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद साक्ष्य व अभिवचनों के आधार पर स्वयं साबित करना है व प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। **Ratnagiri Nagar Parishad Vs. Gangaram Narayan Ambekar, (2020) 7 SCC 275** के वाद में यह विधि व्यवस्था स्थापित की गयी है कि "Where the plaintiff had instituted the suit for declaration of title and possession, it has been held by the Supreme Court that burden of proof u/s 101 of the Evidence Act rests on the plaintiff to prove his title and entitlement to possession. Plaintiff cannot succeed on any alleged weakness in title or possession of the defendant." ①

- i) वादी द्वारा अपनी लिखित बहस में वादी के स्वत्व निरन्तर कब्जा मुखालिफाना के आधार पर परिपक्व व इस कथन के आधार पर वाद में अनुतोष पाने के अधिकारी होने का कथन किया है, परन्तु ऐसा कोई कथन वादी द्वारा अपने वाद पत्र में नहीं किया गया है न ही वाद में इस आधार पर कोई अनुतोष चाहा गया है। *Meena Chaudhary Vs. Commissioner of Delhi Police, (2015) 2 SCC 156* के वाद में यह विधि व्यवस्था स्थापित की गयी है कि "A relief larger than the one claimed by plaintiff in the suit cannot be granted by court. It is not open to the court to grant a relief to the plaintiff on a case for which there is no basis in the pleadings."
- j) *Anathula Sudhakar Vs P. Buchi Reddy (Dead) By LRs and Others Civil Appeal 6191/2001 decided on 25.03.2008* में यह व्यवस्था की गयी है कि "17(c) But a finding on title cannot be recorded in a suit for injunction, unless there are necessary pleadings and appropriate issue regarding title [either specific, or implied as noticed in *Annaimuthu Thevar (supra)*]. Where the averments regarding title are absent in a plaint and where there is no issue relating to title, the court will not investigate or examine or render a finding on a question of title, in a suit for injunction. Even where there are necessary pleadings and issue, if the matter involves complicated questions of fact and law relating to title, the court will relegate the parties to the remedy by way of comprehensive suit for declaration of title instead of deciding the issue in a suit for mere injunction." उक्त वाद में यह स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों में पक्षकारों में विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व को लेकर विवाद हो एवं स्वामित्व से सम्बन्धित अभिवेदन व उस पर आधारित वाद बिन्दु विरचित किये गये हों, उस स्थिति में वादी को केवल स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद योजित करने पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। वर्तमान वाद में वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही स्वयं को विवादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक बताकर आये हैं जिससे यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति का मालिकाना हक इस वाद में विवादक (Fact in issue) है। *Jharkhand State Housing Board Vs Didar Singh and anr Civil appeal no-8241/2009* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था पारित की गयी है कि "11. A suit for mere injunction does not lie only when the defendant raises a genuine dispute with regard to title and when he raises a cloud over the title of the plaintiff, then necessarily in those circumstances, plaintiff can not maintain a suit for bare injunction."
- k) उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद बिन्दु सं०-1 को पूर्णतः साबित करने में विफल रहा है। अतः वाद बिन्दु सं०-1 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

10) निस्तारण वाद बिन्दु संख्या:-02-वाद बिन्दु संख्या 2 पूर्व में निस्तारित किया जा चुका है।


③

- 11) निस्तारण वाद बिन्दु संख्या:-03-वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा-85 बकफ एक्ट से बाधित है? इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा इस वाद बिन्दु को साबित करने हेतु कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।
- 12) निस्तारण वाद बिन्दु संख्या:-04-वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी कोई अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी है? इस वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। चूंकि वाद बिन्दु सं०-1 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जा चुका है। इसलिए वादी कोई अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद बिन्दु सं०-4 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।
- 13) उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विधि प्रावधानों तथा विवेचना के आलोक में प्रस्तुत वाद में विरचित वाद बिन्दुओं के विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में वादी का वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त होने योग्य है।

आदेश


वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित की जाए।

दिनांक-20.12.2023


सूर्या चौहान 20/12/23
अपर सिविल जज जू०डि० कोर्ट नं०-07
लखीमपुर खीरी।
JO CODE-UP3420

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-20.12.2023


सूर्या चौहान 20/12/23
अपर सिविल जज जू०डि० कोर्ट नं०-07
लखीमपुर खीरी।
JO CODE-UP3420

